

सं.आरटीआई/551/1365/2015

दिनांक: 10 जुलाई, 2015

सेवा में,

श्री संजय शर्मा
101, नारायण टावर,
एफ-ब्लॉक, राजाजी पुरम्,
लखनऊ- 226017, उत्तर प्रदेश

महोदय,

कृपया 23.06.2015 को प्राप्त दिनांक 16.06.2015 के अपने आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें, जिसमें आपने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगी है।

2. आपके आरटीआई आवेदन की मद सं. 1, 2, 3 एवं 8 के तहत मांगी गयी सूचना निम्नानुसार है:

मद सं. 1: विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का यूनाइटेड किंगडम के चांसलर से कोई पत्राचार नहीं हुआ है, इसलिए कोई सत्यापित प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

मद सं. 2: विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का "British Envoy" से कोई पत्राचार नहीं हुआ है, इसलिए कोई सत्यापित प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

मद सं. 3: विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को श्री ललित मोदी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोई सत्यापित प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

मद सं. 8: विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा वर्तमान सरकार में पद ग्रहण करने के बाद विदेशी मुल्कों को अनेक पत्र भेज गए हैं। इन पत्रों को संबंधित विभागों को फाईल कर दिया जाता है, इसलिए इन पत्रों की सत्यापित प्रतियां संबंधित विभागों द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

3. जहाँ तक शेष मर्दों का संबंध है, विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित सौपीआईओ को आरटीआई अधेष्ठित कर दी गई है:


01/
Ambed
15/7/15

मद सं. 4: ईडब्ल्यू प्रभाग
 मद सं. 5,6 एवं 7: सीपीवी प्रभाग
 मद सं. 9 एवं 10: पीपी एवं आर प्रभाग
 मद सं. 11: प्रोतोकोल प्रभाग
 मद सं. 12: वित्त प्रभाग

"सूचना का अधिकार" के तहत उपरोक्त सीपीआईओ का संपर्क व्यौरा विदेश मंत्रालय की
 वेबसाइट www.mea.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। सीपीआईओ, सीपीवी प्रभाग का संपर्क
 व्यौरा निम्नानुसार है:

श्री जगपाल सिंह,
 अनुभाग अधिकारी (सीपीवी-आरटीआई)
 कमरा सं. 29,
 सीपीवी प्रभाग
 विदेश मंत्रालय,
 पटियाला हाउस एनेकसी, नई दिल्ली

4. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के
 भीतर श्री बी. वनलालवावना, निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, कमरा सं. 4095, ए-विंग, जवाहर
 लाल नेहरू भवन, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011 (दूरभाष: 011-49015224, फैक्स:
 011-49015225) को अपील दायर कर सकते हैं।


 (मीरा सिंहोदिया)
 अवर सचिव (आरटीआई)
 कमरा सं. 2019, ए-विंग
 जवाहर लाल नेहरू भवन,
 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011
 दूरभाष: 49015226/49015227

सैवामें 436/RTI/MEA/15 रु. 10

विदेशी प्रबल विभाग

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली, भारत, पिनकोड़ - 1100 01

विषय: RTI Act के तहत आवेदन

महोदय,

पंजीकृत प्रवेश माध्यम समेत

3834

RTI Sec 20(5)

23/06/2015

1365/15-

कृपया भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा लिखित मोटी व्ही एवं
documents, वीजाइफिल्स द्वारा हेतु ब्रिटिश सरकार से विए गये पत्राचार आदि से संबंधित
निम्नलिखित रूचना दें:—

- ✓ (1) सुषमा स्वराज द्वारा यूनारेंड विंग्स के वांखनर व्ही लिखे गये
सभी पत्रों व्ही सत्यापित प्रतियों दें।
- ✓ (2) सुषमा स्वराज द्वारा उन्मेश उम्पूरे से विए गए सभी पत्राचार
व्ही सत्यापित प्रतियों दें।
- ✓ (3) लिखित मोटी द्वारा मानवीय आधार पर नदल्लीत भारत सरकार से
सुषमा स्वराज व्ही विधित सभी पत्रों व्ही संकरनकों सहित सत्यापित प्रतियों दें।
- ✓ (4) लिखित मोटी के पत्रोंसे प्राप्त होने देने सुषमा स्वराज द्वारा ब्रिटिश
सरकार के विधियों व्ही पत्र लिखने तक व्ही प्रक्रिया से
संबंधित एवं अवधियों के अभिलेखों व्ही जीटीटीए सहित सत्यापित
प्रतियों दें।
- (5) विभिन्न अपराधों के मुलजिमों व्ही मानवीय आधार पर वीजा
दिलावे में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की श्रूतिका व्ही
विधियों के सत्यापित प्रतियों दें।
- (6) विभिन्न अपराधों के मुजरिमों व्ही मानवीय आधार पर वीजा
दिलावे में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय व्ही श्रूतिका
विधियों के सत्यापित प्रतियों दें।
- (7) 23/06/2015 के विदेश मंत्रालय व्ही
विधियों के मुजरिमों व्ही मानवीय आधार पर वीजा,

23/06/2015

MS

23/06

P.T.O. - Contd. (02)

23/06/2015

विवरणीय documents दिलाये जैं तो दखले (०२) दिये जाने के कुल प्रकरणों
वी संख्या की क्षमता दूखना है।

- (८) दुष्टमा द्वराज द्वारा वर्तमान सरबार में पढ़ाहने से अबत्य
विदेशी मुद्राओं की विधि पत्रों वीक्षण संख्या की दूखना है और
इन सभी पत्रों की सत्पापित प्रतियों हैं।
- (९) भारत की वर्तमान विदेशी वीति की सत्पापित प्रति है।
- (१०) वर्तमान सरबार द्वारा पिछली सरबार की विदेशनीति में
बिंदगई बदलावों की दूखना है।
- (११) विगत ॥ वर्षीये द्वारा दरबारी दस्ती पर विदेश यात्राओं पर गरे.
प्रधानमंत्री, केन्द्रीयमंत्री, सांसदी, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों,
भारत के मुख्य न्यायाधीश, दुष्टम वोट के जजों, हाईकोर्टी के
मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों, अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवा
के अधिकारियों, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेशों के विधायियों
की जानों की दूखना है।
- (१२) विदेश मंत्रालय की विलीप वर्ष 2015-16 में आंकित बजट
आंदोलन की मद्दत दूखना है।

10/८ घो 1PO No. 29F 962686 खंडन है। कृपया बिन्दुवार
दूखना है।

टिकाय : 16.06.2015

अंतिम

16/6/2015

(दूष्टम राज्यकामी)

101, नारायणटोवर
F ०३०४, राजाजीपुर
लखनऊ - 226017
उत्तरप्रदेश